BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGNAL APPLICATION NO. 197/2024

IN THE MATTER OF :

Shurveer & ors ...Applicant

Versus

STATE OF UTTARAKHAND & ORS ... Respondents

INDEX

S.NO	PARTICULARS	PAGE NO
1.	REPLY ON BEHALF OF PRINCIPAL CHIEF SECRETARY, PUBLIC WORKS DEPARTMENT RESPONDENT NO 1, UTTARAKHAND IN COMPLIANCE OF THE ORDER DATED 30.04.2024 PASSED BY THIS HON'BLE TRIBUNAL	01-04
2.	**Annexure A** Copy of authorization letter	05
3.	**Annexure B** Copies of the letters	06-07
4.	**Annexure C** Copy of the letter by the MLA, Durgeshwar lal, Purola	08

Filed By

NEW DELHI
DATED

ANJALI RAJPUT
PANEL COUNSEL FOR UTTARAKHAND

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGNAL APPLICATION NO. 197/2024

IN THE MATTER OF :

Shurveer & ors ...Applicant

Versus

STATE OF UTTARAKHAND & ORS ... Respondents

REPLY ON BEHALF OF PRINCIPAL CHIEF SECRETARY, PUBLIC WORKS DEPARTMENT RESPONDENT NO 1, UTTARAKHAND IN COMPLIANCE OF THE ORDER DATED 30.04.2024 PASSED BY THIS HON'BLE TRIBUNAL.

Most respectfully showeth:

1. That I am competent and authorized on behalf of principal chief secretary to file the reply on his behalf. Copy of authorization is annexed as **Annexure A**.

2. That in my abovementioned official capacity, I am acquainted with the facts and circumstances of the present case, and I am fully competent to file present Reply.

3. That vide order dated 30.04.2024 this Hon'ble Tribunal was please to issue following directions:

4. In view of the averments in the application, we consider it appropriate to have response of (1) State of Uttarakhand through Principal Secretary, Public Works Department, Uttarakhand (2) the

District Magistrate, Dehradun, and (3) Member Secretary, Uttarakhand Pollution Control Board who stand impleaded as respondents No. 1 to 3. The Registry is directed to prepare and attach memo of parties to the application and issue notices to respondents No. 1 to 3 requiring them to file their reply/response within two months at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF."

4. That in compliance of the above order it is submitted that as per the application of the petitioner and the office reports it is stated that on earlier occasion on the request of the villagers/people's representatives a proposal was prepared and sent for the Proposed motor road which connects Ravadhar point to Kalich Village. That due to the protest by some of the villagers no further action was taken on the said proposal.

5. That again now, upon the request of the villagers/people representatives and Hon'ble MLA (purola) a proposal for construction of motor road has been presented to the senior officers from another place i.e Tikochi Nagwada to Ravadhar which is being objected by few villagers.

6. It is submitted herein that the proposal for construction of Motor road from Tikochi Nagwada to Ravadhar, in Development Block

Mori, District Uttarkashi, is still in Phase one.

7. That assessment of proposal for phase one work of the Motor Road, was done in the compliance of the written order of the MLA Purola and the same was sent to the Superintendent Engineer, 6th circle, Uttarkashi by Executive engineer, PWD, Purola vide his letter dated 727/13 C dated 24.4.2023. That Chief Engineer vide his letter dated 2945/06(13) Yata -(Chief office)/2023 dated 18.05.2023 presented the assessment proposal of the road to Secretary, PWD, Gov of Uttarakhand and till today no approval has been received. That the copies of the letters are annexed herewith as **Annexure B**

8. That it is also apprised that any assessment/proposal is always prepared and sent to the senior officials in compliance of the MLA's Order. It is after that only any proposal is accepted by the Government of Uttarakhand. After the acceptance of the proposal of road by the State government, at first the alignment of the road is done with the agreement of the Village Head/ People representatives and its approval is obtained from the Superintendent Engineer. That the copy of the letter by the MLA, Durgeshwar lal, Purola is annexed herewith as **Annexure C.**

9. That, only after the acceptance of the alignment, a joint inspection is conducted by forest department, revenue Department and Public works Department.

10. That in this joint inspection it is ascertained the total no of trees and nature of land falling in the proposed road. Hence, since the proposal is at phase one stage and no joint inspection has been conducted so far it is not possible to tell the exact no of trees falling on the said road.

11. That the present reply on behalf of Principal Secretary, PWD State of Uttarakhand, in compliance of the directions passed by this Hon'ble tribunal.

RESPONDENT NO.1

ANJALI RAJPUT
PANEL COUNSEL FOR UTTARAKHAND

जारी 23/7/2024

ANNEXURE A 9

कोर्ट केस/तत्काल

संख्या 2147/III(2)/24–21(रि0या0)/2024

प्रेषक,

श्याम सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक 23 जुलाई, 2024

विषय– **मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में OA No. 197/2024 शूरवीर व अन्य बनाम उत्तराखण्डराज्य व अन्य के संबंध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्रांक–976/3932वि0प्र0/2024 दिनांक–29.06.2024 के क्रम में शासन के पत्र संख्या–2119/III(2)/24–21(रि0या0)/2024 दिनांक–12.07.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा न्याय विभाग के यू0ओ0 पत्र संख्या–581/XXXVI-A-3/2024-21(रि0या0)2024–PWD-2 दिनांक 11 जुलाई 2024 की प्रति प्रेषित करते हुए उक्त वाद में उत्तराखण्ड राज्य की ओर से प्रभावी पैरवी किये की अनुमति प्रदान की गयी है।

2– उक्त शासनादेश दिनांक 12 जुलाई, 2024 के प्रस्तर–2 में अंकित 'लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड की ओर से मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली' के स्थान पर '**मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली**' पढ़ा जाय।

भवदीय,

(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या–2147/III(2)/24–21(रि0या0)/2024 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सुश्री अंजली राजपूत, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, मा0 उच्चतम न्यायालय, Chamber No. 136, New Lawyers Chambers, M.C. Shetalwad Block, Supreme Court, New Delhi-110001 मो0 नं0–9811777368 को सूचनार्थ एवं अग्रेत्तर विधिक कार्यवाही किये जाने के अनुरोध सहित प्रेषित।
2. मुख्य अभियन्ता, क्षे0का0, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
3. अधीक्षण अभियन्ता, छठा वृत्त, लोक निर्माण विभाग उत्तरकाशी।
4. अधिशासी अभियन्ता,नि0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पुरोला।

(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव।

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
"विधि प्रकोष्ठ वर्ग"
लोक निर्माण विभाग, देहरादून
OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D., DEHRADUN,UTTARAKHAND
Phone & Fax:- 0135-2531742, 2530431 E-Mail-cepwduavidhi@gmail.com
Website-http://pwd.uk.gov.in

पत्र सं0– 1087 /3932 वि0प्र0/2024 दिनांक 19 /07/2024

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
पुरोला।

विशयः– मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में **OA No.197/2024 शूरवीर व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भः– शासकीय पत्र संख्या 2119/III(2)/24–21(रि0या0)/2024 दिनांक 12.07.2024

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करें, जिसके द्वारा सुश्री अंजली राजपूत, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के नाम जारी वकालतनामा की मूल प्रति उपलब्ध कराते हुए प्रकरण से भिज्ञ किसी अधिकारी/कर्मचारी को आवश्यक/सुसंगत अभिलेखों सहित, अधिवक्ता से सम्पर्क स्थापित कराते हुए, नियमानुसार अग्रेत्तर विधिक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः उक्त सम्बन्ध में शासकीय पत्र दिनांक 12.07.2024 की प्रति एवं वकालतनामा मूल में संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि प्रकरण से भिज्ञ अधिकारी/कर्मचारी को आवश्यक/सुसंगत अभिलेखों सहित, अधिवक्ता से सम्पर्क स्थापित कर सुनवाई की अगली तिथि दिनांक 25.07.2024 से पूर्व नियमानुसार अग्रेत्तर विधिक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही से शासन/इस कार्यालय को अवगत करायें।

प्रकरण मा0 राष्ट्रीय प्राधिकरण नई दिल्ली से सम्बन्धित होने के कारण आपका व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है।

संलग्नः– यथोपरि।

19/7/24
(इं0 मूलचन्द गुप्ता)
वरिष्ठ स्टॉफ आफिसर।

प्रतिलिपिः–संयुक्त सचिव, लोक निर्माण अनुभाग–02, उत्तराखण्ड शासन देहरादून को शासकीय पत्र दिनांक 12..07.2024 के कम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः–मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय लो0नि0वि0 देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः–अधीक्षण अभियन्ता, छठा वृत्त, लो0नि0वि0 उत्तरकाशी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

वरिष्ठ स्टॉफ आफिसर।

सेवामें

अधिशासी अभियंता लोक
निमार्ण विभाग पुरोला
उत्तरकाशी।

विषयः– **टिकोची नगवाडा रवाधार मोटर मार्ग के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषय अवगत करना है कि उपरोक्त मोटर मार्ग बगाण फल पट्टी हेतु व सेब बागान तक आम जन ग्रामीणों का आने–जाने व सेब सीजन मे सेब रवाधार सेब टिकोची तक लाने हेतु अत्यनत आवश्यक है। रवाधार मे कम से कम 50 से 55 परिवार निवास करते है। और 40 हजार सेब की पेटीयॉ प्रतिवर्ष उत्पन्न होती है इसलिए सेब को रवाधार से टिकोची तक लाने के लिए इस मोटर मार्ग का जनहित में बनना अति आवश्यक है। और वहॉ पर जो भी भुमि है सब काश्तकारों के नाम की भूमि है

यह कि उपरोक्त मोटर मार्ग पर सम्पूर्ण चीड का जंगल है इस प्रस्तावित मार्ग पर देवदार आदि के कोई वृक्ष नही है। यह कि किसी असमाजिक तत्व ने जान बूझ कर वदनीयती से NGT को गलत व आपसी रंजीसों के कारण यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।

यह कि NGT के समक्ष वास्तविकता/मोकास्थिती को दर्शित किया जाना न्यायेचित है।

अतः महोदय से प्रार्थना है कि उपरोक्त विषयक आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा की जाए।

9/07/24
9/07/24

दिनांक–
09-07-24

पत्र प्राप्ति लिपिक
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
पुरोला (उत्तरकाशी)

समस्त ग्रामवासी
रवाधार

सुरेश रावत
Kamlesh
Chauhan
B Rawat
Saramdr
B Rawat
2024.07.11 13:07

ANNEXURE C 12

...उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी में

(6)

1311/2 प्रती.
17-10-2022
001343

Durgeshwar Lal
M.L.A.-Purola (U.K.)

सदस्य विधान सभा
उत्तराखण्ड

दिनांक - 15-10-2022

अधिशासी अभियन्ता
लो०नि०वि० पुरोला

कृपया विधानसभा पुरोला के अन्तर्गत वि०ख० मोरी के रिकोन्ची नगवाड़ा से खाबधार तक मोटर मार्ग का नव निर्माण किया जाना जनहित में आवश्यक है। क्षेत्र के लोगों ने भ्रमण के दौरान अवगत कराया है कि खाबधार नामक स्थान में 50 परिवारों के नागरिक व परिवार रहते हैं, 40 हजार सेब की पेटी [illegible] में होती है। जनहित में मार्ग का निर्माण किया जाना आवश्यक है।

अतः उक्त मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु प्रारम्भिक आगणन गठित कर शासन को प्रस्तुत करें।

(Signature)
Durgeshwar Lal
M.L.A.-Purola (U.K.)
15/10/22

AE II

Ex Eng
17/10

JE
[illegible] 8/11/022
तुरन्त प्रस्तुत करें
11/11/2022